परिसीमन / अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या– प0नि0 30–67 / 2026.....3850

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला दंडाधिकारी, शिवहर।

पटना, दिनांक–22.09.26

विषय :– अवशिष्ट राजस्व ग्राम की प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर किये जाने, आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित राजस्व ग्रामों एवं उनके जनसंख्या का सत्यापन किये जाने तथा तत्संबंधी प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1184, दिनांक–18.09.2026 एवं आयोग के पत्रांक–3691, दिनांक–09.09.2026

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा अवशिष्ट राजस्व ग्राम की प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर किये जाने, आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित राजस्व ग्रामों एवं उनके जनसंख्या का सत्यापन किये जाने तथा तत्संबंधी प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया था उक्त के आलोक में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा तत्संबंधी प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।

(2) प्रखंड पिपराही अन्तर्गत राजस्व ग्राम रतनपुर विशुनपुर जगरनाथ (थाना संख्या–116) पूर्व से उक्त प्रखंड के Master Data में उपलब्ध है परन्तु आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के प्रपत्र–क में उक्त राजस्व ग्राम का नाम अंकित है।

ज्ञातव्य हो कि प्रपत्र–क में वैसे राजस्व ग्राम का नाम अंकित किया जाना है जो पूर्व से संबंधित प्रखंड के Master Data में उपलब्ध नहीं है एवं उस राजस्व ग्राम की प्रविष्टि भी आयोग के पोर्टल पर किया जाना है।

(3) प्रखंड शिवहर अन्तर्गत राजस्व ग्राम चक विशुनपुर (थाना संख्या–150) को आयोग के पोर्टल पर हटाये जाने का कारण अंकित नहीं किया गया है परन्तु प्रेषित प्रतिवेदन के प्रपत्र–ख में उक्त राजस्व ग्राम का नाम अंकित कर दिया गया है।

उपरोक्त त्रुटियों के संदर्भ में संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दुरभाष के माध्यम से त्रुटिरहित प्रतिवेदन तैयार किये जाने के संबंध में सूचित कर दिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गए निदेश एवं आयोग द्वारा उक्त संदर्भ में आहूत Video Conferencing द्वारा दिये गए निदेश में भी स्पष्ट किया गया था कि सभी प्रखंडों को आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध Master Data के आधार पर पोर्टल पर सत्यापन / प्रविष्टि करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रपत्र–क, प्रपत्र–ख एवं प्रपत्र–ग में तैयार किया जाना है परन्तु आपके द्वारा आयोग के पोर्टल पर सत्यापन / प्रविष्टि किये गए डाटा एवं तत्संबंधी विहित प्रपत्र में तैयार किये गए प्रतिवेदन में भिन्नता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा–11(1) के प्रावधानानुसार पंचायतों के परिसीमन की शक्ति जिला दंडाधिकारी में ही निहित है। तदालोक में पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या–10745, दिनांक–20.07.2026 द्वारा पंचायतों के परिसीमन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य या विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को ही अधिकृत किया गया है।

आपके जिलान्तर्गत परिसीमन से संबंधित प्रतिवेदन/मामले प्राप्त होने पर उनकी जांच जिला स्तरीय पदाधिकारी से कराई जाए प्राप्त प्रतिवेदन पर अपने स्तर से गहन समीक्षा करते हुए मामले का निराकरण जिला स्तर पर ही निर्णय लेते हुये किया जाए विशेष परिस्थिति में ही आयोग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

निदेशानुसार अनुरोध है कि तत्संबंधी दिशा–निदेश के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई किये जाने की कृपा की जाए

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त